पालीवाल सेवा मंडल नागपुर का
विधान
नाम
१) इस संस्था का नाम पालीवाल सेवा मंडल रहेगा.
२) इसका कार्यकाल नागपूर में होगा.
उद्देश
३) इस का उद्देश पालीवाल समाज की सर्वतोमुखी उन्नति करना होगा.
४) उपरोक्त उद्देश की पूर्ति के लिये मंडल निम्न लिखित कार्य करेगा.
क) पालीवाल धर्मशाला बनाने केलिए निधि एकत्रित करना.
ख) विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाने के लिए निधि एकत्रित करना.
ग) सामाजिक, राष्ट्रीय विषयों पर प्रवचन, वादविवाद, लेख प्रतियेगिता आदि कार्यक्रमों का आयोजन कर समाज के बौध्दिक विकास में योग देना.
घ) समाज को संगठित कर राष्ट्रोन्नति के कार्य के लिए प्रेरित करना.
ड) जातीय उन्नति में सहायक साहित्य का निर्माण करना.
च) दान, चन्दा, सदस्यता शुल्क तथा अन्यप्रकार की सहयता कानूनी उपायों से एकत्रित करना.
छ) मंडल की स्थावर व जंगम तथा अन्य सब प्रकार की सम्पति का उचित प्रबंध कर के आय का साधन बनाना अथवा मंडल के ही कार्य में उसका उपयोग करना.
ज) योग्य कानूनी तरीकों से कर्ज लेना, या देने का अधिकार किसी भी समय मंडल की कुल संपत्ती के मूल्य के १/४ से अधिक न होगा.
झ) मंडल अपने उद्देशों की पूर्ती के लिये उपसमितियां संगठित करेगा.
न) असहाय विद्यार्थियों को योग्य सहायता देना. * यह सहायता उनको विद्याअध्यन पूर्ण होने पर आसान किस्तों में ५ साल में वापिस करनी होगी. इन विद्यार्थियों से यह अपेक्षा रहेगी कि वे समाज सेवा कार्य में सक्रिय सहयोग देते रहेंगे.
--
५) मंडल की समस्त सम्पति का उपयोग मंडल के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जायेगा कोई अन्य व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सकेगा.
६) मंडल के विसर्जित होने पर उसकी सारी सम्पत्ति पालीवाल समाज के दूसरे मंडल के अथवा ऐसी संस्था जिसका उद्देश पालीवाल समाज की उन्नति का होगा. उसको दी जायेगी.
(१) नियम
१) सदस्यता
जिन सज्जनों को इस संस्था के नियम व उपनियम मान्य होंगे एवं कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति प्रदान होगी वे ही सज्जन संस्था के सदस्य बन सकेंगे.
२) जिन सज्जनों की सदस्यता अस्वीकृत हो जायेगी उन सज्जनों को अस्वीकृती का कारण स्पष्ट करने के लिये संस्था बाध्य नहीं रहेगी.
** अ) संरक्षक एवं आजीवन सदस्यों से प्राप्त राशी संस्था के विश्वस्थ निधि मे जमा की जायेगी।
२) सदस्यता के प्रकार
***१) संस्थापक सदस्य
२) संरक्षक सदस्य
३) आजीवन सदस्य
**** ४) हितचिंतक सदस्य
५) साधरण सदस्य
क्रमांक १,२,३,४ के सदस्यों के लिये वार्षिक शुल्क देना आवश्यक नहीं रहेगा.

* २-३-१९९७ के संशोधन व्दारा इसे हटाया गया है.
** ७-१२-२००३ के संशोधन व्दारा इस श्रेणी को समाप्त किया गया है.
***७-१२-२००३ के संशोधन व्दारा इस श्रेणी को समाप्त किया गया है.
**७-१२-२००३ के संशोधन व्दारा इस श्रेणी को समाप्त किया गया सभी हितचिंतक सदस्यों को आजीवन सदस्य माना गया है.
* **१) संस्थापक सदस्य**
अ) जिन सज्जनों ने संस्था को कम से कम १००१ रुपये सहयता दी है अथवा देने का आश्वसन दिया है तथा उस राशि का ५० प्रतिशत तुरन्त और शेष राशि एक वर्ष के अंदर देंगे. वे संस्था के संस्थापक सदस्य माने जावेंगे.
ब) इन सदस्यों को संस्था से अलग नहीं किया जा सकेगा परंतु वे खुद चाहे तो अलग हो सकेंगे.
२) संरक्षक सदस्य
जो सज्जन कम से कम **१ लाख रुपये की सहयता एक मुस्त वा १ वर्ष के भीतर पांच किस्तों में देवेंगे वे संरक्षक सदस्य माने जावेंगे, ये सदस्य अपने जीवन काल के लिये होंगे या अपने जीवन काल में भी अपना उत्तराधिकारी अथवा समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को अपने स्थान पर नामजद कर सकेंगे.
३) आजीवन सदस्य
जो सज्जन संस्था को कम से कम *** २१०० रुपये एक मुस्त देंगे वे आजीवन सदस्य माने जावेंगे.
** ४) हितचिंतक सदस्य
जो सज्जन संस्था को एक साथ १०१ रुपये देंगे वे हितचिंतक सदस्य माने जावेंगे.
५) साधारण सदस्य
अ) जो सज्जन संस्था को कम से कम वार्षिक सदस्यता के ***** २५१ रुपये भेजते रहेंगे वह साधारण सदस माने जावेंगे, सदस्यता की नवीनीकरण प्रतिवर्ष ३० जुन से पहले करना होगा अन्यथा सदस्यता समाप्त सब जायेगी. सदस्यता रद्द होने पर नये तरीके से ही साधारण सदस्य बनाना होगा.
ब) समाज का कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु १६ वर्ष की या उससे अधिक है वह मंडल का सदस्य बन सकता है.
क) अवैधानिक, अशोभनीय, अनशासनहीन व्यवहार अथवा किसी अन्य अनुचित कार्य कर अथवा सदस्य के वर्ष समाप्ति पर वार्षिक शुल्क देने पर मंडल को सदस्यता से अलग करने का अधिकार है.
*७-१२-२००३ के संशोधन व्दारा इस श्रेणी को समाप्त किया गया.
** ७-१२-२००३ के संशोधन व्दारा संरक्षक सदस्यता शुल्क २५०० रुपये से १,००,००० रुपये किया गया
*** ७-१२-२००३ के संशोधन व्दारा आजीवन सदस्यता शुल्क २५१ रुपये से ११०० रुपये किया गया व १५-०८-२०१३ के संशोधन व्दारा आजीवन सदस्यता शुल्क ११०० रुपये से २१०० रुपये किया गया.
** ७-१२-२००३ के संशोधन व्दारा इस श्रेणी को समाप्त कया गया.
***** ७-१२-२००३ के संशोधन व्दारा साधारण शुल्क २५ रुपये से २५१ रुपये किया गया.
३) वार्षिक सर्वसाधारण सभा
अ) वार्षिक सर्वसाधारण सभा *३० सितंबर के पूर्व होगी उस समय निम्न लिखित कार्य होंगे
** आ) वार्षिक सर्वसाधारण सभा का आयोजन किसी महत्वपूर्ण सामाजिक उत्सव या सामाजिक समारोह के अवसर पर भी किया जा सकेगा.
अ) वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक आयव्यय पत्रक पर विचार.
ब) कार्यकारणी समिती का चुनाव.
क) सदस्यो व्दारा एक माह पूर्व सूचित किये गये प्रस्तावों पर विचार.
ह) अध्यक्ष की अनुमती से अन्य कार्य.
४) संस्था का कार्यवर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक होगा.
*** **५) साधारण सभा वार्षिक सर्वसाधारण सभा तथा विशेष सर्वसाधारण सभा**

साधारण सभा प्रति माह के प्रथम रविवार को या पूर्व सुचित समय तिथी पर हुआ करेगी. विशेष सर्वसाधारण की बैठक कम से कम एक दशस्त सदस्यों के आवेदन पर या कार्यकारिणी व्दारा बुलाई जायेगी. उसमे वही विषय रखे जावेंगे जिनके लिये कार्यकारिणी समिती या अध्यक्ष को सुचित किया है अथवा कार्यकारिणी समिती ने पारित किया है.
**** कोरम - वार्षिक सार्वसाधारण सभा या विशेष सर्व साधारण सभा का कोरम ४५ सदस्यों का होगा. कोन अभाव मे आधा घन्टे के पश्चात इसी स्थान पर वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही होगी.
कार्यकारिणी समिती
मंडल को सुचारु रुप से चलाने तथा साधारण सभाओं का आयोजन करने के लिए एक कार्यकारिणी समिती होगी जो पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर के सदस्यों के व्दारा चुनी जायेगी.
उसमें निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे
अध्यक्ष - १
उपाध्यक्ष - २ एक उपाध्यक्षा महिलाओं में से ह
मंत्री - १
उपमंत्री - २ एक उपमंत्री छात्रों में से होगा
कोषाध्यक्ष - १
उपकोषाध्यक्ष - १
***** सदस्य - २१
****** निवार्तमान अध्यक्ष एवं मंत्री कार्यकारिणीसमिती के पदेन सदस्य रहेंगे
कार्यकारिणी १० अतिरिक्त सदस्यों को नाम जद कर सकेगी.
* ७-१२-२००३ के संशोधन व्दारा "साधारण तः अगस्त माह" मे की जगह
** ७-१२-२००३ के संशोधन व्दारा इसे हटाया गया.
* ७ - १२ - २००३ के संशोधन व्दारा इसे पारित किया गया है.
** ७-१२ - २००३ के संशोधन व्दारा इसे पारित किया गया है.
*** ७ - १२ - २००३ के संशोधन व्दारा इसे पारित किया गया है.
****** १५-०८-२०१३ के संशोधन व्दारा इसे पारित किया गया है.
कार्यकारिणी का कार्यकाल *तीन वर्ष का रहेगा किंतु जब तक नयी कार्यकारिणी गठित नही होगी तब तक पुरानी कार्यकारिणी संस्था का कार्य सम्हालेगी.
कार्यकारिणी की बैठक मंत्री व्दारा आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी. अध्यक्ष के आदेशानुसार अथवा कार्यकारिणी के किन्ही पांच सदस्यों के आवेदन पर मंत्री को एक सप्ताह के भीतर किसी विशिष्ट विषयपर विचार करने के लिये कार्यकारिणी की विशेष सभा बुलानी होगी कोरम कम से कम १० सदस्यों का रहेगा.
कार्यकारिणी की बैठक का कोरम ** १० सदस्यों का होगा.
बिना उचित कारण बताये कार्यकारिणी की लगातार तीन बैठकों में भाग न लेनेवाले सदस्य को कार्यकारिणी समिती से वंचित किया जा सकेगा.
कार्यकारिणी में कोई भी स्थान रिक्त होने पर उस स्थान की पूर्ती के लिये किसी भी व्यक्ति को कार्यकारिणी नियुक्त कर सकेगी.
प्रथम चुनाव होने तक एक अस्थायी कार्यकारिणी समिती कार्यभार संभालती रहेगी.
आवश्यकता पडनेपर विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने के लिये सलाहकार समिती की नियुक्ति की जा सकेगी और वे अपने विचार पोस्ट व्दारा व्यक्त कर सकेंगे उक्त समिती मे समाज का कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति नामजद किया जा

सकेगा. ता. २०-१०-६३ को कार्यकारिणी समितिका चुनाव हुआ जिसमे निम्नलिखित सज्जन कार्यकारीणी समितिमे चुने गये.

१. अध्यक्ष : श्रीमान डॉ. ताराचंदजी पालीवाल,सीताबर्डी नागपूर
२. उपाध्यक्ष : श्री मुंशीलालजी शर्मा
३. उपाध्यक्षा : सौ. सुशीलाबाई पालीवाल
४. मंत्री : श्रीमान पं. किशोरीलालजी पालीवाल
५. उपमंत्री : श्रीमान बालमुकुंदजी पालीवाल
६. कोषाध्यक्ष : श्री दौलतरामजी पालीवाल
७. निर्देशक

८. सदस्य
1. श्री ताराचंदजी पालीवाल
2. श्री हरजीमलजी पालीवाल
3. श्री चुन्नीलालजी पालीवाल
4. श्री अमरचंदजी पालीवाल
5. श्री डॉ. पृथ्वीराजजी पालीवाल
6. श्री राधाकृष्णजी पालीवाल
7. श्री दौलतरामजी पालीवाल (तुमसर)
8. श्री किशनलालजी पालीवाल (पारशिवनी)
9. श्री गोपालजी पालीवाल (लालबर्रा)
10. श्री कन्हैयालालजी पालीवाल (काटोल)
11. सौ. इंदिराबाई पालीवाल

कार्यकारिणी के अधिकार

मंडल के उद्देश्य को सुचारु रुप से सफल करने के लिये विभिन्न उपसमितीयों का निर्माण करना, मंडल क ओर से कोई भी कार्य करना और उसके लिये उत्तरदायित्व लेना, वार्षिक पत्रक तथा आय व्यव पत्रक तैयार करना एवं व्यव के मुद्दों पर नियंत्रण करना, मंडल के कार्य को सुचारु रुप से संचालन करने के लिये उपनियम बनाना.

कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार

अध्यक्ष के अधिकार

अ) संस्था के संगठन की दृष्टि से तथा उसके दायित्व व प्रतिष्ठा के नाते किसी ऐसे प्रस्ताव को सभा में उपस्थित करने से रोकना, जिससे संस्था को हानि पहुंचने की संभावना है.

ब) व्यर्थ की आलोचना, व्यक्तिगत आक्षेप व अन्य बातें सभा में बोलने से रोक देने का पूर्ण अधिकार हो

१८-११-२००७ के संशोधन व्दारा कार्यकारिणी का कार्यकाल २ वर्ष से ३ वर्ष तक बढ़ाया गया है.

** ७-१२ - २००३ के संशोधन व्दारा इसे पारित किया गया है

क) असंयम दिखलाने की दशा में अध्यक्ष को अधिकार है कि किसी सदस्य को शांत रखने के प्रयत्न में असफल होने पर उसे सभा से अलग हो जाने का आदेश दें, आक्षेप पर सभा की कार्यवाही स्थगित कर देने का अधिकार होगा.

ख) मत विभाजन के समय समान मत होने पर निर्णायक मत देना.

य) मंडल व्दारा स्वीकृत किये गये प्रस्तावो को कार्यान्वित करना तथा मंडल का कार्य नियमित रुप से चले ऐसा नियंत्रण रखना.

उपाध्यक्ष

अ) संस्था की समस्त प्रवृत्तियों को सफल बनाने में अध्यक्ष को सहयोग देना.

ब) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके दायित्व का निर्वाह करना.

मंत्री

अ) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दायित्व को पूर्ण करने में सहायता देना.

ब) कार्यालय तथा मंडल की समस्त गतिविधियों के लिये उत्तरदायी रह कर मंडल का कार्यभार सभालना.

क) संस्था के चंदे की रकम, जायदाद संपत्ति का उचित रुप से निरिक्षण करना तथा सुरक्षित हाथों में रखना.
ख) बहुमत से निश्चित कार्यक्रम का ठीक रुप से संचालन करना.
भ) समय पर आये हुये कार्यालय के पत्र का उचित जवाब देना तथा कार्यालय के आधीन समस्त कार्योंका निरीक्षण करना.
ग) संस्था के समस्त सदस्यों की कठिनाइयों एवं परिस्थितियों की जानकारी तथा उनकी शिकायतों पर उचित ध्यान देकर उस पर योग्य सलाह व निर्णय देना.
च) संस्था से संबंधित प्रत्येक कानूनी कार्यवाही करना. संस्था से संबंधित प्रत्येक समिती से संबंध स्थापित कर वहां की प्रबंध समितियों पर समय समय पर निरीक्षण करना. कार्यकारिणी की सलाह से मंडल के कर्मचारियों को नियुक्त करना. उनका वेतन निश्चित करना तथा उनको नोकरी से अलग करना. मंडल से संबंधित अन्य कार्यों को कार्यान्वित करने के लिये मंडल के किसी सदस्य को आदेश देना.
उपमंत्री
अ) मंत्री की समस्त प्रवृत्तियों का सहायक होगा तथा उनकी अनुपस्थिती में उनका कार्यभार संभालेगा
ब) मंडल के समस्त कार्यों पर भी ध्यान देते रहेगा.
कोषाध्यक्ष
आयव्यव का हिसाब रखना कोषाध्यक्ष के आधीन रहेगा. अ) संस्था की संपत्ति संबंधी मामले की जबाबदारी मंडल के कोषाध्यक्ष की होगी. मंडल के समस्त
ब) अध्यक्ष की अनुमति बिना किसी को रकम देना या खर्च करना मान्य नहीं होगा.
क) खर्च व जमा की रसीद प्राप्त करना आवश्यक होगा.
अन्य सदस्य
कार्यकारिणी के अन्य सदस्य समय समय पर अपने सुविचारों से संस्था की प्रगति पर सलाह दे सकेंगे और संस्था की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के कार्यों में पूर्ण मदद पहुँचाते रहेंगे.
मंडल के मंत्री व्दारा सूचित कार्यो को सुचारु रुप से पारित करने के लिये जिम्मेदार रहेगे.
व्ययधिकार
मंत्री कार्यकारिणी की अनुमति के बिना रु *२५०० तक का खर्च करने का आदेश दे सकता है. इससे अधिक खर्च कार्यकारिणी की अनुमति से करेगा. किसी समय भी मंडल की *५००० रुपये से अधिक पूँजी अपने पास न रख सकेगा, तथा शेष रकम यथाशीघ्र बैंक में जमा कर देना होगा.
अन्य
१) मंडल के हित में धन तथा अन्य प्रकार की सहायता दान, चंदा, वार्षिक शुल्क आदि कानुनी तरीके से एकत्रित करने का मंडल को अधिकार रहेगा.
२) मंडल के या मंडल की जायदाद में ** कम करने या उसे घटाने या बढाने का अधिकार मंडल की सार्वसाधारण सभा मे उपस्थित सदस्यों में से ७५% सदस्यों की अनुमति सेहोगा.
३) देशपर अतिवर्षा के कारण अकाल, बाढ या दुर्घटना आदि आपत्ति आ जाये तो उससे त्रस्त लोगों को मंडल की ओर से यथाशक्ति मदद करना.
४) वार्षिक सर्व साधारण सभा की सुचना *** १५ दिन पूर्व और कार्यकारिणी की बैठक की सुचना दो दिन पूर्व देनी होगी. ऐसी सभी सूचनाओं में सभा का समय, दिन, स्थानऔर विषय का समावेश होगा.
* मंत्री के व्ययधिकार २-३-९७ के संशोधन व्दारा क्रमशः ५००/१००० तक बढये गये तथा
* मंत्री के व्ययधिकार २-३-९७ के संशोधन व्दारा क्रमशः ५००/१००० तक बढये गये तथा
* ७-१२-०३ के संशोधन व्दारा क्रमशः २५००/५००० किये गये.
** ७-१२-२००३ के संयोधन व्दारा इसे पारित किया गया है.

* ७-१२-२००३ के संशोधन व्दारा इसे पारित किया गया है.
५) सभा को कोई भी प्रस्ताव व निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत व्दारा स्वीकृत होगा. यदि कोई प्रस्ताव विधान के नियमों में संशोधन अथवा समावेश या मंडल के विसर्जन, विलीनीकरण या एकीकरण के संबंधके हो तो सर्व साधारण सभा मे उपस्थित सदस्यों के ७५ प्रतिशत से ही पास किया जा सकेगा.
६) मंडल के किसी सदस्य को अध्यक्ष या मंत्री की अनुमती से मंडल के कागजात देखने का अधिकार होगा.
*****७) निश्चित की हुई किसी भी सभा के एक घंटे के बाद, सदस्यों का कोरम पूरा न होने पर सभा का दिन बदल देने का मंडल के अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार होगा.
८) सदस्यों को दी जानेवाली सूचना लिखित हस्ताक्षर व्दारा अथवा पोस्ट व्दारा दी जायेगी.
९) यह विधान सर्व साधारण सभा में स्वीकृत होने के बाद तुरंत ही लागू समझा जायेगा.
१०) मंडल की समस्त कार्यवाही का ब्यौरा एक नियत रजिस्टर में दर्ज किया रहेगा. तथा उस पर अध्यक्ष और मंत्री के हस्ताक्षर रहेंगे.
कार्यकारिणी समिती का चुनाव नियमावली (२-३-९७ को सर्व साधारण सभा मे पारित)
१) कार्यकारिणी समिती अपने कार्यकाल समाप्ती वर्ष मे जो कि साधारणः प्रत्येक *तीसरे वर्ष में आवेगा, होनेवाली वार्षिक सर्व साधारण सभा में नयी कार्यकारिणी के लिये **२९ सदस्य (जिसमें कम से कम ३ महिलायें एवं एक छात्र सदस्य होंगे) के चुनाव की उचित व्यवस्था करेगी। आगे यह वर्ष "चुनाव वर्ष" के नाम से जाना जायेगा.
२) चुनाव वर्ष में कार्यकारिणी समिती एक चुनाव अधिकारी को मानोनीत करेगा, परन्तु उसको चुनाव में खडे रहने का अधिकार नही होगा. वह अपना मतदान कर सकेगा. चुनाव अधिकारी को पालीवाल सेवा मंडल का सदस्य होना आवश्यक है.
३) चुनाव वर्ष में होनेवाली सर्वसाधारण सभा की सुचना के साथ ही चुनाव संबंधी सभी सूचना मंत्री के व्दारा सभी सदस्यों को *** १५ दिन पुर्व यु.पी.सी. से भेज दी जायेगी.
४) कार्यकारिणी कम से कम **** ३० दिन पूर्व सर्वसाधारण सभा एवं चुनाव की तिथी, स्थान एवं समय निश्चित करेगी. इसी समय तक चुनाव अधिकारी की भी नियुक्ति करनी होगी.
५) कार्यकारिणी समिती (अ) नामांकन पत्र भरकर देने की अंतिम तिथि एवं समय,
ब) नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथी एवं समय, (स) मतदान की तिथी एवं समय, (ड) नामांकन पत्र एवं नामांकन पत्र वापस लेने का प्रारुप, (च) चुनाव का स्थान तथा अन्य. आवश्यक नियम भी निश्चित करेगी.
* १८-११-२००७ के संशोधन व्दारा इसे पारित किया गया है.
** ७-१२-२००३ के संशोधन व्दारा इसे पारित किया गया है.
***७-१२-२००३ के संशोधन व्दारा इसे पारित किया गया है.
** ७ - १२ - २००३ के संशोधन व्दारा इसे पारित किया गया है.
*** ७-१२-२००३ के संशोधन व्दारा इसे पारित किया गया है.
६) नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि के पश्चात चुनाव अधिकारी नामांकन पत्रों की जाँच कर चुनाव मे खड़े रहने योग्य उम्मीदवारों के नाम चुनाव तिथी से कम से कम *५ दिन पहले नोटिस बोर्ड पर लगाकर घोषित करेगा.
७) चुनाव अधिकारी मतदान तिथि को निर्धारित समय पर अगर आवश्यक हुआ तो मत पत्रिका (गुप्त मतदान) व्दारा मतदान करवाएगा. मतदान समाप्त होने पर चुनाव अधिकारी मतों की गणना कर चुनाव के परिणाम घोषित करेगा.
८) चुनाव तिथि के दिन मतदाता को स्वतः आकर मतदान करना होगा.
९) चुनाव नतीजे (परिणाम) घोषित करने के २४ घंटे के भीतर कोई भी उम्मीदवार चुनाव परिणाम अथवा चुनाव संबंधी कोई भी शिकायत या तक्रार चुनाव अधिकारी के पास कर सकेगा. चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा.
१०) मतदान तिथि के ** १५ दिन पूर्व मंत्री मतदान सूची तैयार करके मंडल के कार्यालय में सदस्यो के निरीक्षणार्थ रखेगा.
११) मतदान सुची मे कोई आपत्ति होने पर कोई भी सदस्य मतदान तिथी के ***१० दिन पहले तक चुनाव अधिकारी के

समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा. आपत्ति प्राप्त होने पर चुनाव अधिकारी व्दारा जाँच करने के पश्चात जो निर्णय दिया जायेगा वह अंतिम निर्णय होगा.
१२) नामांकन पत्र मंडल के कार्यालय से कार्यालय के समय में प्राप्त किये जा सकेगे.
१३) उम्मीदवारों का नामांकन पत्र भरकर निर्धारित समय में चुनाव अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा.
१४) नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक प्रत्याशी को ****रुपये १०० नामांकन शुल्क देना होगा. (वापसी के अयोग्य).
१५) किसी भी उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिये निर्धारित समय के भीतर चुनाव अधिकारी को लिखित सूचना देनी होगी.
१६) मतदाता सूची मंडल के पास उपलब्ध होने पर कार्यकारिणी सभा व्दारा निर्धारित मुल्य पर मंडल के सदस्यों को दी जायेगी.
१७) मतदाता व्दारा अपने पसंद के प्रत्येक प्रत्याशियो के नाम के सामने के रिक्त स्थानों पर मोहर लगाना होगा. मतदाता जितने स्थानों के चुनाव होने है अधिक से अधिक उतने ही मत दे सकेगा. उससे अधिक स्थानों पर मोहर लगाकर मतदान करने पर उसका समस्त मत रद्द हो जायेगा.
* ७-१२-२००३ के संशोधन व्दारा इसे पारित किया गया है.
७-१२-२००३ के संशोधन व्दारा इसे पारित किया गया है.
* ७-१२-२००३ के संशोधन व्दारा इसे पारित किया गया है.
** ७-११-२००३ के संशोधन व्दारा इसे पारित किया गया है.
१८) किसी स्थान के लिए समान मत पडने पर चुनाव अधिकारी "टॉस" अथवा लॉटरी व्दारा चुनाव परिणाम घोषित करेगा.
१९) उपयोग में आनेवाले प्रत्येक मत पत्रिका पर चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर तथा काउन्टर मत पत्रिका क्रमांक होना आवश्यक है. अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जायेगा.
२०) मतदान के समय मतदान केंद्र पर उम्मीदवार अथवा प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगा चुनाव अधिकारी उम्मीदवार का प्रतिनिधि व अन्य कार्यकर्ता केवल मंडल के सहास्य ही होंगे.
२१) किसी भी पदाधिकारी को वार्षिक सभा के सिम्पल बहुमत से पदमुक्त किया जा सकेगा.